

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक / 2017-18 निगरानी

R 1071-PR-17

161

पार्थी अभिभाषक श्री ~~शिवनारायण~~ द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 09-3-17
अधीक्षक 9.3.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

- 1 जोरावर पिता दरियावसिंह
- 2 रेशमबाई पति जोरावरसिंह
- 3 शिवनारायण पिता जोरावरसिंह
समस्त जाति- गाडरी, धंधा- कृषि,
निवासी एवं कृषक- ग्राम भादाहेड़ी तह.
शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

--- निगरानीकर्तागण

--- विरुद्ध ---

- 1 गंगाधर पिता हमीरसिंह
- 2 बापूलाल पिता कुंवरजी
- 3 केशरसिंह पिता कुंवरजी
- 4 मोहनलाल पिता कुंवरजी
- 5 प्रेमबाई पिता कुंवरजी
- 6 कृष्णाबाई पिता कुंवरजी
- 7 पिंगलबाई पिता कुंवरजी
- 8 पूरणसिंह पिता गंगाधर
- 9 हुकुमसिंह पिता बाबुलाल
- ✓ 10 जगदीश पिता बाबुलाल
- 11 रूपसिंह पिता जगन्नाथ
- 12 ज्ञानसिंह पिता जगन्नाथ
- 13 ममताबाई पिता जगन्नाथ
- 14 ललिताबाई पिता जगन्नाथ

निरंतर.....2

[Handwritten signature]

115
22/9/17

[Handwritten mark]

// 2 //

- 15 अवंतिबाई बेवा जगन्नाथ
- 16 राजेश पिता केशरसिंह
- 17 पंकज पिता केशरसिंह
- 18 नितेश पिता केशरसिंह
- 19 देवराज पिता मोहनलाल
- 20 राहुल पिता हुकुमसिंह
- 21 कपिल पिता जगदीश
समस्त जाति- गाडरी, धंधा- कृषि,
निवासी एवं कृषक- ग्राम भादाहेड़ी तह.
शुजालपुर जिला शाजापुर (म.प्र.)
- 22 म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश महोदय.
शाजापुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

— प्रत्यर्थागण

अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन
प्रकरण क्र. 102/अपील/2015-16 दिनांक 17/01/2017
में पारित आदेश जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
शुजालपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अपील/2012-13
में पारित आदेश दिनांक 10/06/2016 को निरस्त किया
गया से व्यथित एवं क्षुब्ध होकर धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व
संहिता के अंतर्गत निगरानी :-


माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, माननीय
तहसीलदार महोदय, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक

निरंतर.....3



(161)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(117)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1071-पीबीआर/2017

दिनांक तथा स्थान	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकरण एवं अभिलेखों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक क्रमांक 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 28-05-2019 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	